फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री महेशभाई पुत्र श्री मगनभाई प्रजापति जाति कुम्हार(प्रजापति निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही	बनाम	स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा
राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट — रा.प्रा.पत्र सं. 125/2024

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
25.06.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री रमेश माली व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2025/341 दिनांक 08.05.2024 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार राजस्व ग्राम तंवरी पटवार मण्डल तंवरी की वर्तमान जमाबंदी 2071–74 के खाता संख्या 31, 389, 275, 369, 272 में प्रार्थी का नाम चुन्नीलाल पुत्र मगा दर्ज है। चुन्नीलाल व महेशभाई पुत्र मगनभाई दोनों एक ही व्यक्ति है। इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति तंवरी में नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पेन कार्ड, पहचान–पत्र, जनआधार–कार्ड आदि प्रार्थी का नाम महेशभाई पुत्र मगनभाई दर्ज है। अतः ग्राम तंवरी पटवार मण्डल तंवरी की वर्तमान जमाबंदी 2071–74 के खाता संख्या 31, 389, 275, 369, 272 में प्रार्थी का नाम चुन्नीलाललाल पुत्र मगा के स्थान पर महेशभाई पुत्र मगनभाई दर्ज किया जाना उचित है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***ग्राम तंवरी पटवार मण्डल तंवरी की वर्तमान जमाबंदी 2071–74 के खाता संख्या 31, 389, 275, 369, 272 में प्रार्थी का गलत नाम चुन्नीलालं पुत्र मगा के स्थान पर महेशभाई पुत्र मगनभाई संशोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज०)	